

प्रेषक

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2010

शासन सन्दर्भ / अति आवश्यक

विषय: प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही चार्ज करने तथा पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश वर्ष में प्रभावी शुल्क चार्ज करने का परिपालन सुनिश्चित कराना तथा मण्डलीय समितियों गठित कर चेकिंग कराने के संबंध में ।

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों (गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर) के अधीन लगभग 663 निजी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाएँ सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा स्तर की निजी संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में 135 डिप्लोमा स्तरीय निजी संस्थाओं ने प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निजी क्षेत्र की संस्थाओं की फीस निर्धारण हेतु गठित समिति ने वर्ष 2010-11 के शैक्षणिक सत्र से सभी निजी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं तथा निजी पालीटेक्निकों की फीस का निर्धारण कर दिया गया है जिसकी सूचना/विवरण समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है ।

2. शुल्क निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित किया गया शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से तीन वर्ष अर्थात् 2012-13 तक लागू रहेगा तथा नये

.....2

प्रथम वर्ष के प्रवेशित छात्रों से लिया जायेगा। निम्नान्ततः द्वितीय से चतुर्थ वर्ष के छात्रों से वही शुल्क लिया जाता रहेगा जो उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शुल्क लिया गया है। गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ने इस स्थिति को अपने पत्र संख्या गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/26779-27371, दिनांक 31.8.2010 (संलग्नक-1) द्वारा निदेशक/प्राचार्य, प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को तथा शासन के पत्र संख्या 2869/सोलह-1-2010-297/2010, दिनांक 7.9.2010 (संलग्नक-2) द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को एवं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउण्डेशन के पत्र के उत्तर में शासन के पत्र दिनांक 11.8.2010 (संलग्नक-3) द्वारा अध्यक्ष/महासचिव, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउण्डेशन को भी स्पष्ट कर दिया गया है।

3. शासन को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि संस्थाओं द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस छात्रों से चार्ज किया जा रहा है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2418/सोलह-1-प्रा0शि0-1-2007-एलसी-2007, दिनांक 17.8.2007 को संशोधित किया जाता है तथा इसके स्थान पर प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन सम्बद्ध निजी डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही चार्ज करने तथा पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से उसके प्रवेश वर्ष में प्रभावी शुल्क चार्ज करने के संबंध में परिपालन सुनिश्चित करने एवं चेकिंग हेतु संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा निम्नानुसार जांच समिति गठित की जायेगी :-

- (1) संबंधित जिलाधिकारी का प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो।
- (2) क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग (सूची संलग्नक-4) अथवा राज्य द्वारा अनुदानित अभियंत्रण संस्थाओं के वरिष्ठ शिक्षक (सूची संलग्नक-5) अथवा राजकीय पालीटेक्निकों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य (सूची संलग्नक-6) अथवा मण्डलायुक्त के विवेकानुसार मण्डलीय स्तर के अधिकारी में से एक अधिकारी।

.....3


4. जांच समिति किसी जनपद के विद्यालयों के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच कर मण्डलायुक्त को जांच आख्या प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर मण्डलायुक्त अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।
5. मण्डलायुक्त अपने मण्डल में स्थापित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही चार्ज करने तथा अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश वर्ष में प्रभावी शुल्क चार्ज करने के संबंध में परिपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी चेकिंग हेतु उक्तानुसार मण्डलीय समितियों गाँठत कर जाँच कराकर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. मण्डलायुक्त प्राप्त शिकायतों पर तीव्रता से जांच करायेगे तथा अनावश्यक शुल्क वसूली पर प्रभावी नियंत्रण रखेंगे। शिकायतों की चेकिंग कर जांच समिति जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर आख्या देगी तथा उसकी प्रति उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय व शासन को भी प्रेषित करेगी। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि ली जा रही हो तो जिलाधिकारी से अपेक्षा होगी कि वह इन्फोर्समेंट कर दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
7. मण्डलायुक्त जाँच की समयबद्ध पूर्ति व जिलाधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की पाक्षिक समीक्षा अगले दो माहों तक, तत्पश्चात् प्रतिमाह करेगे व विवेकानुसार प्रभावी नियंत्रण रखेंगे।
8. प्राविधिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों की जिम्मेदारी रहेगी कि वह सम्बन्धित मण्डलायुक्तों से सम्पर्क कर जाँच समिति के सदस्यों को नामित कराकर तीव्रता से जांच सम्पन्न कराये।
9. गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर/ प्राविधिक शिक्षा परिषद से भी अपेक्षा की जाती है कि उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

.....4

10. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की जाती है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,



(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
- (2) कुलपति, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर
- (3) कुलसचिव, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 कानपुर ।
- (5) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
- (6) संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा शिक्षा सख्य क्षेत्र, दारुमण्डी चौराहा पुराना महिला पार्लिटेक्निक छात्रावास, चण्डीपुर, लखनऊ / पश्चिमी क्षेत्र कैम्पस चौधरी मुख्तार सिंह राजकंठ महिला पार्लिटेक्निक वीरगला, मेरठ/पूर्वी क्षेत्र, राजकीय महिला पार्लिटेक्निक कैम्पस, मुन्डरपुर, वाराणसी/बुन्देलखण्ड, ग्वालियर रोड, झाँसी ।
- (7) विशेष सचिव (श्रीमती मिनिस्ती एस0)/श्री राम मण्डल

आज्ञा से,


(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा)

पत्रांक: गौबु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/

दिनांक: 31 अगस्त, 2010

26779-27311

रुबीन पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं।

विषय: निर्धारित शिक्षण शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें।

15
19/11/10
24.9.10

1. जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2010/16277-16870, दिनांक: 15.7.10।
2. गौबु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/19172-19765, दिनांक: 11.7.10।
3. गौबु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24256-24849; दिनांक: 8.7.10।
4. गौबु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24974-25567, दिनांक: 9.7.10।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के उक्त पत्रों द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि आपकी संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जायेगा। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, वह शिक्षण शुल्क वर्ष 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जायेगा। उक्त क. सूचना के साथ संस्था स्तर पर तदनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में सूचित करना है कि कतिपय संस्थाओं के द्वारा एवं अभिभावक विश्वविद्यालय में आकर यह शिकायत कर रहे हैं कि संस्थाओं में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से प्रवेश के वर्ष में 'ली गई शिक्षण शुल्क से अधिक शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है और इसी आशय के समाचार दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं कि संस्थाओं द्वारा प्रभावी शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। यह अत्यंत गंभीर प्रकरण है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में सभी संस्थाओं को पुनः निर्देशित किये जाने की अपेक्षा है कि अपने संस्थान में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जाए, उससे अधिक अथवा विभिन्न मदों के अन्तर्गत अधिक शुल्क कदापि न लिया जाए।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित 218 अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सत्र 2010-11 हेतु शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, समिति द्वारा निर्धारित उक्त शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्षों) अर्थात् 2010-11,

2011-12 एवं 2012-13 के लिये लागू होगा। निर्धारित शुल्क को प्रत्येक वर्ष जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। प्रत्येक वर्ष के मार्ग को आम पर कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा जिन संस्थाओं को प्रवेश और फीस के लिये शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, उन संस्थाओं की पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है।

उक्त के अतिरिक्त अवशेष जिन संस्थाओं को प्रवेश और फीस के लिये शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, उन संस्थाओं को प्रवेश और फीस के लिये शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति के आदेश संख्या 10/2010-11/2012 दिनांक 10.10.2012 द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसी संस्थाओं की सूची भी समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में सूचीबद्ध सभी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uptu.ac.in से भी लिंक किया गया है।

आपकी अपेक्षा है कि समिति द्वारा सत्र 2010-11 में जिन संस्थाओं का शिक्षण शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, अतएव संस्थाएं सत्र 2010-11 में तदनिर्धारित शिक्षण शुल्क ही सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना सुनिश्चित कर लें। अतिरिक्त जिन संस्थाओं द्वारा समिति को निर्धारित तिथि के अंदर प्रवेश शुल्क नहीं लिये हैं, उन संस्थाओं के भी पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया गया है। सभी संस्थाओं द्वारा उक्त निर्धारित शिक्षण शुल्क ही नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में पुनः सूचित किया जाता है कि प्रवेश शुल्क को जमानत समिति द्वारा सत्र 2010-11 हेतु संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, यह सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जाना है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी संस्था द्वारा संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बर्ष के छात्रों को प्रवेश शुल्क निर्धारित शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाता है, तो प्रवेश शुल्क निर्धारित शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क लेना गैर कानूनी माना जायेगा। उक्त विश्वविद्यालय से ऐसी संस्था/प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कठोर प्रक्रिया चलायी जायेगी। अतः संस्थाओं की सूचना के साथ अपेक्षा है कि कृपया संस्था स्तर पर तदनुसार प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

दिनांक

स्थान

संस्था

संस्था

संस्था

सूचना सं० 10 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, पदाधिकाय कुलाधिपति/श्री गजानंद, 3040 इलाहाबाद, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 3040 इलाहाबाद, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, जी०बी०टी०यू०, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, जी०बी०टी०यू०, लखनऊ।

(यू०एस० सोमर)

कुलसचिव

आई०बी०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 272192, फैक्स 2732185

प्रेषक

वृन्दा सरूप
प्रमुख सचिव,
उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

सं. ११११/सोलह-1-2010-297/2010

विषय: निजी क्षेत्र की स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तरीय पालीटेक्निकों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समिति द्वारा निर्धारित फीस लिए जाने की कार्यवाही तथा सत्यापन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र की स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों (बी०टेक०, बी०फार्मा, एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०ए०एच०एच०, बी०एच०एम०सी०टी० तथा बी०आर्क०) तथा डिप्लोमा स्तरीय निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों हेतु सत्र 2010-11 के लिए फीस का निर्धारण प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा कर दिया गया है जिसकी सूचना/निर्धारण समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह पुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि आपके जनपद में स्थापित संस्थाएं समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से ले। कृपया इसकी सत्यापन रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि संस्थाएं समिति द्वारा निर्धारित फीस ही नव प्रवेशित छात्रों से ले रही हैं। यदि किसी संस्था द्वारा नव प्रवेशित छात्रों से अधिक फीस ली जा रही है तो उससे भी शासन को अवगत कराया जाये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा सत्र 2010-11 के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है वह केवल नये प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होगी, पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से वही फीस ली जाएगी जो उनके प्रवेश के समय लागू थी। सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से नहीं ली जाएगी। कृपया इसका भी सत्यापन कराने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
- (2) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० कांनपुर ।

अज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव

अनुसूची

संख्या-3

संख्या-2010-292/10

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई

अनु सचिव,

उपरो शासन।

पेना में,

1. श्री देवमूर्ति,

अध्यक्ष, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया,

श्री राममूर्ति स्मारक कालेज आफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी,

प्लॉट-3, रामपुर गाहिन, बरेली।

2. डा० अतुल के० जैन,

अध्यक्ष, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया,

आइंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,

46, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद।

प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-3 दिनांक : 11 अगस्त, 2010

विषय:- सत्र 2010-11 के लिए शैक्षिक फीस चार्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 28.7.2010 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस सत्र 2010-11 में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से भी लिया जाता था।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निर्धारित फीस 3 वर्षों के लिए प्रभावी होने का आशय यह है कि प्रश्नगत 3 वर्षों में इंजीनियरिंग पर छात्रों से वही फीस ली जायेगी एवं उन वर्षों में प्रवेशित छात्रों द्वारा इंजीनियरिंग पर वही फीस ही पूरे अध्ययन अवधि में उनके लिए प्रभावी होगी। अतः संस्था में पूर्व से अध्ययनरत नये छात्रों से शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस लिया जाना नियम विरुद्ध माना जाये प्रवेशित छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना है। शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस केवल नये प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होगी। कृपया इसका पालन कड़ाई से किया जाये।

भवदीय,

11/8/2010

(अनिल कुमार बाजपेई)

अनुसचिव

h

नाम	दूरभाष संख्या व मोबाइल	कार्यालय पता
श्री हरिओम वर्मा, संयुक्त निदेशक, मध्यक्षेत्र, लखनऊ	0522-2683454, 2683840, 80048-50032	वासमण्डी वौराहा, पुराना महिला छात्रावास, चाण्वाग, लखनऊ ।
श्री एस0एस0 राम, संयुक्त निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र दौराला, मेरठ	01237-231030 94150 79196	कैम्पस चौधरी मुख्तार सिंह, राज्य महिला पाली0, दौराला, जनपद मेरठ
श्री जे0एन0 तिवारी संयुक्त निदेशक, पूर्वी क्षेत्र वाराणसी	0542-2570509 94153-50621	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र सुन्दरपुर, वाराणसी, राजकीय महिला पाली0 कैम्पस
श्री रविकिशोर वर्मा संयुक्त निदेशक बुदेलेखण्ड, झाँसी	0510-2442354 94525-28744	ग्वालियर रोड, झाँसी ।

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)
Gautam Buddha Technical University
(Formerly Uttar Pradesh Technical University)

डॉ. कृपा शंकर
एच. डि.
Dr. Kripa Shanker Ph.D. (Cornell)
विश्वविद्यालय

आई.ई.टी. परिसर, सीतापुर रोड,
लखनऊ-226 021 (उप्र प्र०) भारत
I.E.T. Campus, Sitapur Road,
Lucknow-226 021 (U.P.) India

Supernumerary Faculty Members from the Government Colleges for Minorities & Private Institutions

LUCKNOW

Dr U S Siddiqui	Professor	Mathematics
Dr S K Upadhyay	Professor	Chemistry
Dr Ashok Kumar	Professor	Physics
Dr Onkar Singh	Professor	Mechanical Engineering
Dr Raghuraj Singh	Professor	Comp. Sc. & Engg.
Dr JSP Rai	Professor	Plastic Technology

LUCKNOW

Dr D N Kakkar	Professor	Management
Dr V K Singh	Reader	Electronics Engineering
Dr (Mrs) Alka Tripathi	Reader	Chemistry
Dr (Mrs) Neelam Srivastava	Reader	Electronics Engineering
Dr Manish Gaur	Reader	Computer Science and Engineering

FC Gorakhpur


Dr D K Singh	Professor	Mechanical Engineering
Dr V K Giri	Professor	Electrical Engineering
Dr Udai Shanker	Professor	Computer Science and Engineering
Dr A K Pandey	Reader	Electrical Engineering
Dr P K Singh	Reader	Computer Science and Engineering
Dr Arjun Dubey	Reader	English

JHANSI

Dr Abhay K Verma	Professor	Civil Engineering
Dr R N Verma	Professor	Computer Science and Engineering
Dr V K Bhatt	Reader	Mechanical Engineering
Dr Yashpal Singh	Reader	Computer Science and Engineering
Dr Amitabh Srivastava	Reader	Civil Engineering

SITAPUR

Dr L U B Pandey	Professor	English
Dr A S Pandey	Professor	Electrical Engineering
Dr A K Singh	Professor	Chemistry
Dr Ravindra Kumar Singh	Reader	Electrical Engineering


Dr. Kripa Shanker

प्रेषक,
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र०, कानपुर।

सेवार्थे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
लखनऊ-1

सं०: /कैम्प-नि०प्रा०शि०- 10,

कानपुर : दिनांक- 09.2010

विषय-प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत प्रधानाचार्य/का० प्रधानाचार्य की सूची।

महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा दिनांक-21.09.2010 को दूरभाष पर दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित प्रधानाचार्य के पदों पर मात्र 30 अधिकारी ही कार्यरत हैं। अधिकांश संस्थाओं में विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता के पदों पर कार्यरत कर्मिकों द्वारा संस्था प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्वों को निर्वहन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों की सूची विद्यार्थी प्रस्तुत है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	गण्डल जहाँ के लिये उपयुक्त होंगे
1	2	3	4	5
1.	सर्वश्री आर०के० वर्मा	संयुक्त निदेशक	प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी	कानपुर/चित्रकूट/झांसी
2.	मनोज कुमार	प्रधानाचार्य	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद	मेरठ
3.	के०एन० गुप्ता	प्रधानाचार्य	राजकीय महिला पालीटेक्निक, इलाहाबाद	विश्वनाथ/इलाहाबाद
4.	शैलेन्द्र प्रताप चौधरी	प्रधानाचार्य	राजकीय पालीटेक्निक, गोंडवा	देवीपाटन/बस्ती/फैजाबाद
5.	श्री बी०के० वार्धाय	कार्य० प्रधानाचार्य	सावित्री बाई फूले राजकीय महिला पालीटेक्निक, सहारनपुर	सहारनपुर
6.	टी०सी० मिश्रा	विभागाध्यक्ष विद्युत अभियंत्रण	एस०जी०एस०जी० पालीटेक्निक, खुर्जा	अलीगढ़
7.	सलिल शर्मा	प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर	गुरदाबाद
8.	बी०के० यादव	कार्य० प्रधानाचार्य	राजकीय चर्म संस्थान, आगरा	आगरा
9.	एस०के० गोविल	सचिव	संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	लखनऊ
	श्रीमती दयाश्री कौल	प्रधानाचार्य	राजकीय महिला पालीटेक्निक, फ़ैजाबाद	

10.	एसोडीओ गण	विभागध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंता	राजकीय बरेली	महिला पार्टी के कर्मक.	बरेली
11.	एसोडीओसीओ लाल	कार्यो प्रधानाचार्य	राजकीय गोरखपुर	महिला पार्टी के कर्मक.	गोरखपुर
12.	एकेके सिंह	कार्यो प्रधानाचार्य	राजकीय जौनपुर	महिला पार्टी के कर्मक.	बाराणसी / आजमगढ़

भवदीय,

(*[Signature]*)

(मधुकर)

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।

[Handwritten signature]